

‘हरियाणा करियाे पर सरकारी संपत्तनिपिटान नीति 2023’ अधसूचति

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2023 को हरियाणा सरकार ने पछिले 20 वर्ष या उससे अधिक समय से करियाे या पट्टे के माध्यम से व्यक्तगत या नजि संस्था के कब्जे वाली सरकारी वभिागों, बोरडों, नगिमें और प्राधकिरणों की संपत्तियों (दुकानों/मकानों) को बेचने के लिये ‘हरियाणा करियाे पर सरकारी संपत्तनिपिटान नीति 2023’ को अधसूचति की है।

प्रमुख बडि

- मुख्य सचवि संजीव कौशल ने यह जानकारी देते हुए बताया कयिह नीति 100 वर्ग गज प्रतिलाभार्थी/प्रतभूखंड तक की ऐसी सभी संपत्तियों पर लागू होगी, जो 01 जून, 2001 से पहले पट्टे या करियाे पर दी गई थी।
- मुख्य सचवि ने बताया कयिह एक ‘वन टाइम पालसी’ है जसके अंतर्गत आने वाले लोगों को नीतिकी अधसूचना जारी होने के 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
- यह नीति पर्यटन, परिवहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वभिागों की भूमि पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, यह नीति शामलात भूमि, पंचायत भूमि, पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद भूमि पर भी लागू नहीं होगी।
- वशिष्ट वभिागीय अधनियिमों और वैधानकि नयिमों के अर्थात् हरियाणा वसिथापति संपत्त (प्रबंधन और नपिटान) नयिम 2011, हरियाणा पंचायती राज अधनियिम 1994, हरियाणा पंचायती राज नयिम 1995, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (वनियिमन) अधनियिम 1961, हरियाणा ग्राम ग्राम शामलात (वनियिमन) नयिम 1964 और वसिथापति संपत्त (प्रबंधन और नपिटान) अधनियिम 2008 के तहत शासति होने वाली भूमि को भी इस नीति से बाहर रखा जाएगा।
- इस नीति में वे संपत्तियाँ शामिल होंगी, जनिका स्वामतिव या प्रबंधन सरकारी संस्था द्वारा कथिा जाता है और जो करियाे या पट्टे का पैसा अथवा लाइसेंस शुल्क या तहबाजारी शुल्क के आधार पर खाली ज़मीन, दुकान (दुकानों) जसिका अलग-अलग तल (यदि कोई हो) मकान और उसका अलग-अलग तल (यदि कोई हो) उद्योग और खाली भूमि के लिये सरकारी संस्था को देय या प्राप्य है।
- ऐसी संपत्तियों के मामले में, जनिसे सरकारी संस्थाएँ वार्षकि कलेक्टर रेट मूल्य का 8 प्रतशित और उससे अधिक का करियाे पट्टा प्राप्त कर रही हैं, तो सक्षम प्राधकिारी को वह संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं होगी।
- कब्जे की अवधि के आधार पर बेस रेट पर रियायत-**
 - जसि संपत्ति पर कसिी व्यत्तिका 20 वर्ष से अधिक लेकनि 25 वर्ष से कम की अवधि के लिये कब्जा है, उससे सरकल रेट का 80 प्रतशित शुल्क लथिा जाएगा।
 - 30 वर्ष या उससे अधिक लेकनि 35 वर्ष से कम की अवधि तक कब्जे वाले लोगों से सरकल रेट का 75 प्रतशित शुल्क लथिा जाएगा।
 - इसके अलावा, 35 वर्ष या उससे अधिक लेकनि 40 वर्ष से कम की अवधितक कब्जे वाले लोगों को सरकल रेट का 65 प्रतशित भुगतान करना होगा।
 - 40 वर्ष या उससे अधिक लेकनि 45 वर्ष से कम की अवधि के लिये कब्जा रखने वालों से सरकल रेट का 60 प्रतशित और 45 वर्ष या उससे अधिक लेकनि 50 वर्ष से कम की अवधि के लिये सरकल रेट का 55 प्रतशित शुल्क लथिा जाएगा।
 - जनिके पास 50 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिये कब्जा है, उनसे सरकल रेट का 50 प्रतशित शुल्क लथिा जाएगा।
- नीतिकी नगिरानी एवं क्रयिान्वयन शहरी स्थानीय नकिया वभिाग द्वारा इसके लिये तैयार कथिे गए पोर्टल के माध्यम से कथिा जाएगा।